भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING
"बीटा बिल्डिंग" 9 वी मंज़िल / "BETA BLDG." 9th FLOOR,
आई-थिंक टेक्नो कैम्पस / i-THINK TECHNO CAMPUS,
कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST),
मुम्बई - 400042 / MUMBAI – 400 042.

टेलीफोन: 91-22-25752040-43 & 45
फैक्स: 91-22-25752029 / 35
ई-मेल: dgship-dgs@nic.in
वेब: www.dgshipping.gov.in

Tele: 91-22-25752040-43 & 45
Fax: 91-22-25752029 / 35
E-mail: dgship-dgs@nic.in
Web: www.dgshipping.gov.in

फाइल नंबर: 12-एनटी (9)/2015 दिनांक: 16.11.15

वाणिज्य पोत परिवहन सूचना संख्या 11/2015

विषय: साझेदारी फर्मों के स्वामित्व वाले जलयानों के पंजीकरण का प्रमाणन–संबंधी.

नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार, मुंबई इस पर अस्पष्टता के बारे में पूछा गया है कि, क्या साझेदारी फर्में फर्म के नाम से अपने जलयानों को वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत करवा सकती हैं और यह कि क्या भारतीयों और विदेशियों की सम्मिलित साझेदारी होने पर भी ऐसी साझेदारी फर्मों के स्वामित्व वाले जलयानों के पंजीकरण पर विचार किया जा सकेगा.

2. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 तथा साझेदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के अलोक में निदेशालय में इस मामले को जांचा गया.

3. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 21 और 22 में भारतीय पोतों और पंजीकरण की बाध्यकारिता के बारे में बताया गया है. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 21 में निम्नवत कहा गया है:

"उद्धरण

भारतीय पोत–अधिनियम के प्रयोजन से, पोत को तब तक भारतीय पोत नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके स्वामियों में से हरेक व्यक्ति पर निम्नलिखित लागू न होते हों

ए. वह भारत का नागरिक हो, या

बी. कंपनी या निकाय जो कि केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया हो जिसके कारोबार का स्थान प्रधानतया भारत में हो, या

सी. कोई सहकारी समिति जो सहकारी समिति अधिनियम, 1912 के अंतर्गत या तो पंजीकृत हो या फिर पंजीकृत समझी गई हो या सहकारी समितियों से संबंधित किसी अन्य विधिके अंतर्गत जो किसी राज्य में किसी समय विशेष में लागू हो उसके अंतर्गत पंजीकृत हो.

अनुद्धरित"

4. वापोप अधिनियम की धारा 21 के खंड (बी) की दृष्टि से, केन्द्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत स्थापित निकाय जिसका कारोबार प्रमुखतया भारत में है उसे साझेदारी फर्म माना जाए या नहीं इस मुद्दे की जांच की गई, ताकि फर्म के नाम से स्वामित्व वाले जलयानों के पंजीकरण हेतु इनकी पात्रता पर विचार किया जाए.

--2

5. इस विषयवस्तु की जांच करने के लिए इस पर साझेदारी अधिनियम, 1932 और वापोप अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के संबंध में संक्षेप में बातचीत करना समीचीन हो जाता है.

6. भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 4 में साझेदारी की परिभाषा दी गई है कि ऐसे व्यक्तियों के बीच संबंध जो कि इस बात पर सहमत हों कि वे सभी के द्वारा या उनमें से किसी द्वारा उन सबकी ओर से चलाए जाने वाले कारोबार में उन सबका हिस्सा होगा. साथ ही, साझेदारी अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, साझेदारी का संबंध संविदा से आता है न कि स्थिति से. इसके अलावा, साझेदारी अधिनियम की धारा 2 (ए) के अनुसार फर्म का कार्य से अर्थ हर वह कार्य या चूक होगा जो कि सभी साझेदारों द्वारा हो, या किसी एक साझेदार या फर्म के किसी अभिकर्ता द्वारा हो जिसके कारण फर्म द्वारा या उसके विरुद्ध अधिकार प्रवर्तन योग्य बने.

7. साझेदारी अधिनियम की धारा 10 यह निर्दिष्ट करती है कि साझेदार फर्म के कारोबार को चलाने में इसे हानि या धोखाधड़ी से बचा कर रखेंगे. साझेदारों के कर्तव्य साझेदारी अधिनियम की धारा 11 में यथोल्लिखित रूप• से संविदा द्वारा निर्णीत होंगे. फर्म का परिसमापन संविदा द्वारा या साझेदारों की सहमति द्वारा किया जा सकेगा.

8. साझेदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों में यह निर्दिष्ट किया गया है कि साझेदारी फर्म अपने साझेदारों पर केन्द्रित होगी और इसका अस्तित्व इसके साझेदारों पर निर्भर होगा. उपर्युक्त प्रावधान यह भी निर्दिष्ट करते हैं कि साझेदारी व्यक्तियों के बीच में एक संबंध है और इसे इसलिए किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत स्थापित निकाय नहीं समझा जाना चाहिए, भले ही साझेदारी को समुचित प्राधिकरण में पंजीकृत ही क्यों न करवाया गया हो.

9. इससे आगे, वापोप अधिनियम की धारा 25 के खंड (बी) और (डी) में संयुक्त स्वामी के रूप में पंजीकृत होने के लिए मात्र व्यक्तियों को ही अनुमति है. इसी धारा के खंड (ई) में कंपनी या सहकारी समिति को यह अनुमति दी गई है यह अपने नाम से पंजीकरण करवा सके. इसमें साझेदारी फर्म को अपने नाम से स्वामी के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति नहीं है.

10. वापोप अधिनियम की धारा 26 में यह कहा गया है कि पंजीयन के लिए आवेदन व्यक्तियों, व्यक्तियों के समूह और कंपनी या सहकारी समिति द्वारा या की ओर से आवेदन किया जा सकता है, इसमें यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि साझेदारी फर्म अपने नाम से पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सकती.

11. साझेदारी अधिनियम के प्रावधानों के साथ मिलाकर वापोप अधिनियम की धारा 21, 25 और 26 के प्रावधानों को पढ़ने पर यह बात साफ होती है कि केन्द्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत स्थापित कोई निकाय वापोप अधिनियम की धारा 21 के खंड (बी) द्वारा यह अपेक्षा है कि यह निगम निकाय हो. निगम निकाय एकल नागरिक या व्यक्तियों के समूह के साथ पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकता है. साझेदारी फर्म उपर्युक्त खंड की दृष्टि से निगम निकाय नहीं है और यह दो या अधिक व्यक्तियों के बीच समझौते द्वारा जनित व्यक्तियों के बीच एक संबंध है.

12. पूर्वोक्त को दृष्टिगत रखते हुए यह बात साफ है कि साझेदारी फर्मों के स्वामित्व वाले जलयानों को फर्म के नाम से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत नहीं किया जा सकता.

13. जो जलयान पहले से ही समुद्री वाणिज्य विभाग में भारतीय पोतों के पंजीकार के यहां पंजीकरण पुस्तक में पंजीकृत है और वहां इस स्पष्टीकरण के जारी होने से पहले जलयान के स्वामी के रूप में साझेदारी फर्म दर्शाई गई है तो यह सुनिश्चित कर उसे ठीक किए जाने की आवश्यकता है कि जलयान को फिर से संयुक्त स्वामियों के नाम से उनके द्वारा धारित जलयान पर शेयरों की संख्या के अनुसार पंजीकृत किया जाए, बशर्ते वे भारत के नागरिक हों.

14. इसे नौवहन महानिदेशक एवं पदेन अपर सचिव भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है.

(कप्तान के पी जयकुमार)
उप नॉटिकल सलाहकार, भारत सरकार.